न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :— श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 275/2015

| प्रार्थी | ब नाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. कबूखां के कायम मुकाम 1/1 अहमदखां 1/2 नेकू खां 1/3 वली खां पुत्रान कबूखां 1/4 मीमो बेवा कबूखां 2. अदरीम वल्द जले खां जातियान मुसलमान निवासियान बड़नामा, तह. पचपदरा जि. बाड़मेर | | 1. आकू खां के कायम मुकाम 1/1 जुमे खां, 1/2 सुबानखां1/3 रहमान खां,1/4 नसीरखां पुत्रान आकू खां 2. गीनी पुत्र मुरीदखां के का. मु. 2/1 हासम खां पुत्र गीनी खां, 2/2 अमीयां बेवा गीनी खां 3. सेजी पत्नी मुरीदखां सभी जातियान मुसलमान निवासियान बड़नामा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर<br>4. भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा |

**प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए**

उपस्थित —

1. श्री चेलाराम कुमावत विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से —
2. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थीगण की ओर से —

**आदेश** दिनांक: 31-10-17

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, सरहद मौजा बागावास नये राजस्व ग्राम दुर्गापुरा में खेत खसरा सं. 144 रकबा 37 बीघा 06 विस्वा खसरा सं. 146 रकबा 19 बीघा 14 विस्वा, कुल रकबा 57 बीघा एवं सरहद मौजा चक चारणान में खसरा सं. 07 रकबा 397.06 बीघा कृषि भूमि आयी हुई हैं, जो अबू खां पुत्र चन्दे खां के खातेदारी की थी, अबू खां के देहान्त के पश्चात दुर्गापुरा वाला खेत में अबू खां के तीनों पुत्रों जले खां, आकू खां, मुरीद खां के नाम म्यूटेशन सं. 54 भरकर पारित कर दिया, किन्तु चक चारणान के खेत खसरा सं. 07 रकबा 397 बीघा 06 विस्वा में फौतगी म्यूटेशन पारित करते वक्त आकू खां, मुरीद खां से मिलावट कर उनके दोनों के नाम ही फौतगी म्यूटेशन भरा, जले खां को नहीं सुना गया, न ही उसे म्यूटेशन पारित करने से पूर्व नोटिस ही दिया और न अबू खां के वारिस की जांच ही की, जिससे उक्त तथाकथित अवैध व शून्य म्यूटेशन जो प्रारंभ से ही प्रभावहीन रहा है, म्यूटेशन में उत्तराधिकारी के जटिल बिन्दु को तय नहीं किया जा सकता। उक्त म्यूटेशन के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अपील सं. 10/11 पेश की, जो तारीख 12.04.2013 को खारिज हुई, द्वितीय अपील सं. 44/13 भी दिनांक 21.07.2015 को खारिज हुई । इस प्रकार उक्त भूमि अबू खां के तीनों पुत्रों के नाम दर्ज होनी थी, किन्तु प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के नाम फौतगी म्यूटेशन में जोड़ने से उनके हक संशय में पड़ गये, जिनकी घोषणा हेतु मूल वाद पेश किया है, मूलवाद के विचाराधीन रहते विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल हस्तक्षेप नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द करना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में, विप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 1/1 ता 03 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, म्यूटेशन सं. 02 पारित होने से पूर्व जले खां, अबू खां, हाजी खां, चानण खां, अदरीम को पूर्ण रूप से सुना गया था, और उनकी सहमति से ही म्यूटेशन पारित किया गया था, इस कारण जले खां, हाजी खा, कबू खां ने अपने जीवनकाल में कोई इस बाबत एतराज नहीं किया, अलावा इसके मौके पर विप्रार्थीगण ही विगत 50 वर्षो से बिना किसी रोक-टोक के बतौर मालिक काबिज रहे व हैं । उक्त भूमि अबू खां ने अपने जीवनकाल में मुस्लिम विधि अनुसार मौखिक वसीयतनामा हिब्बा के आकू खां व मुरीद खां के हक में कर दिया था, अबू खां के पुत्र जले खां के नाम म्यूटेशन सं. 2 पारित क्यों नहीं किया, इसकी वजह जले खां के नाम पहले से

भूमियां खसरा सं. 354, 366, 501, 502, 503, 504 रही थी, इस कारण म्यूटेशन सं. 02 से सम्बन्धित भूमि में उनका कोई हक, हित या हिस्सा नहीं था, और न ही जले खां ने लेना उचित ही समझा। म्यूटेशन ग्राम पंचायत की साधारण सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्वीकृत किया गया था और उक्त म्यूटेशन के विरूद्ध पारित म्यूटेशन अपील को गुणावगुणों पर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा तथा द्वितीय अपील को श्री डिविजन न्यायालय जोधपुर द्वारा खारिज किया और वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टियां मामला विद्यमान नहीं हैं, क्योंकि मौके पर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं हैं । प्रार्थना पत्र बदनियती से प्रस्तुत किया है, प्रार्थना पत्र किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है, यदि दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो प्रार्थीगण की तुलना में विप्रार्थीगण को अधिक असुविधा एवं क्षति होगी, विप्रार्थीगण उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट है, जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती ।

हमने उभय पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया, और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

वकील विप्रार्थीगण ने जवाब में उपर वर्णित तथ्यों को दौराने बहस दोहराया और प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया, साथ ही वकील विप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत आर. आर. टी. 2013 (1) पेज 667 पेश किया ।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थीगण ने खसरा सं. 7 मौजा चक चारणान के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है, राजस्व रेकर्ड अनुसार विप्रार्थीगण उक्त खसरे के रेकर्डेड खातेदार है, प्रार्थीगण का कोई हिस्सा उक्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज होना नहीं पाया जाता है, विधि अनुसार खातेदार टीनेन्ट को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं । यदि खातेदार टीनेन्ट के द्वारा उसके खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी अन्य के द्वारा दखल/हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसे असुविधा होने तथा अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति तक जो तथ्य पत्रावली पर आये है, उसे प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टियां मामला बनना नहीं पाया जाता है, यदि विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि प्रार्थीगण के कब्जे में दखल/हस्तक्षेप नहीं करें तो विप्रार्थीगण को असुविधा एवं क्षति होने की संभावना है, क्योंकि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न पत्रावली में प्रार्थीगण का कब्जा हो, बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी जले खां के नाम भूमियां खसरा सं. 354, 366, 501, 502, 503, 504 दर्ज अंकित हैं, या उक्त भूमियां कहां से आयी के सम्बन्ध में कोई भी कथन अंकित नहीं किया है, जिससे भी यह जाहिर हैं कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में सही तथ्यों का छिपाव कर प्रकरण प्रस्तुत किया है, अलावा इसके पूर्व में प्रस्तुत हुई म्यूटेशन अपीलें भी निरस्त हुई है । प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से तुलनात्मक क्षति विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की तुलना में अधिक होगी ।

बाद गौर न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निर्णित करते हुए न्यायहित में चूँकि पक्षकार के मध्य न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है, और मूल वाद के विचाराधीन रहते वाद से सम्बन्धित भूमि का बेचान अन्य पक्ष को करने से प्रकरण में जटिलता उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं, कि भूमि खसरा सं. 7 रकबा 397 बीघा 06 विस्वा मौजा चक चारणान का बेचान अन्य किसी पक्ष को नहीं करे, उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा फौतगी म्यूटेशनों पर प्रभावी नहीं रहेगी । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

आदेश आज तारीख 31-10-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथराम)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.).